

ग्रेपक,

पी०के०पांडे,  
अपर सचिव,  
उत्तरारण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संकाल/नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

एवं एवं पर्यावरण अनुशासन—५

देहरादून: दिनांक ३० मार्च, २०१५  
प्रियजय: जनपद-पिथौरागढ़ में चण्डाल-मैइला-तडीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.९३५ हेतु वन  
भूमि का गैर वानिकी कार्या हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्याखर्तन करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-२६१४/१जी-PP/UK/ROAD/10700/2015 दिनांक १८  
मार्च, २०१५ के सन्दर्भ में मृशि यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद पिथौरागढ़  
(आपदाप्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में चण्डाल-मैइला-तडीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु  
१.९३५ हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्या हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्याखर्तन करने की  
सैद्धान्तिक स्वीकृति, भास्त सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-११-  
०९/९८-एफ० सी० दिनांक ०७ नवम्बर २०१४ एवं पत्र संख्या एफ०न०-११-०९/९८-एफ०सी०  
दिनांक १३ फरवरी, २०१४ में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए<sup>१</sup>  
अद्योतित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन विभाग के पद्धति में प्रत्याखर्तन भूमि के पद्धति ३.८७ हेतु सिफिल  
सोयम भूमि एवं अतिरूप वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक स्थानान्तर हेतु  
आवश्यक अनुसंधि (वर्तमान नेतृत्व दर्शकों को समर्थित करने हेतु यावसंशोधित) जमा की  
जाएगी। उत्तर भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है ताकि उसे बन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण  
एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छ घाह में अरक्षित/संरक्षित जमा भूमि घोषित किया  
जायेगा। भूमि हाँ। हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त जमा सर्व पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान  
यही जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत भानी जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिहाई, पड़े-रुक्कों, पड़े-दर्थों विशेष  
वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाक हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान योग्य दर्शकों को समर्थित  
करने हेतु धनराशि) जमा यही जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिल पिठीशन (सिविल) २०२/१९९५  
को अंतिंगत अई०६०सी०-५६६ ५५ भारत सरकार पत्र सी०-५-३/२००७ एफ० सी० दिनांक ०५.  
०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि  
जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आग्रह का यथावद्धता प्रत्यक्ष करेंगे कि सकार रत्न से यदि  
एन०पी०वी० की ८२ में बड़ोत्तरी होती है तो वही हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा  
की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.  
२००९ के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार १००पी०वी० लघु दूसरी सभी निधियों प्राप्तेष्वृति

पीवारेपन निषि प्रक्षेपन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संस्था-एम्स० वी०-२५२२३, कार्परेशन बैंक (भास्त सरकार का उष्टकम), ब्लाक्स०-११ मूलत सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, केज १, लोधी रोड, नई विल्लो०-११०००३ गे जगा करने के उपरान ही पाखती की छायाप्रति, जमा की रई धनराशि कन बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आवश्य (जिसमे जमा फी गई धनराशि का मददार पितरण अर्थात् एन०पी०यी, आतिपूरक वृक्षाशेषण प्रस्तावित रूपत के आस-पास वृक्षाशेषण तथा अन्य देश धनराशियों का पितरण दिया गया हो) उपलब्ध वसाये जाने के पश्चात ही निर्मत स्वीकृति मान्य होगी।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रसारित गिरण कार्य ये लिए जनपद कार्यवल की संस्थानियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  - प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा उन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रभाग-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
  - प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभाय में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अर्थात् असंतोषजनक अनुपालन होने की रिप्टि में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं उन विभाग द्वारा स्वीकृत वा निरसा करने का अधिकार सुरक्षित है।
  - उपरोक्त शर्तों के अनुपालन प्रबलता प्रकाश ने विभिन्न स्वीकृति निगम की जायेगी।

भाष्य

(पी०क०पात्रों)  
अपर सथित;

संख्या: 157 (1)/(x-415)/64/2015, तदृगिनालित।

प्रसिद्धिपूर्ण किन्नरीजन को सुचनाथ एवं आशुष्यक कर्त्तव्यातीत हेतु गोपित ।

1. अपर प्रमुख उन संसाक्ष (फेन्चीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं उन मंड़ालय, कोरिय काशीलय, एक०आर० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
  2. महालेखाकार, लेखा एवं हफदारी, ललताखण्ड, देहरादून।
  3. संधिय, लोक निर्माण तिथाम / पी०एम०जी०एस०धा०इ. उत्तराखण्ड शासन।
  4. उन सांस्क०, उत्तराखण्ड कृषि विभाग।
  5. जिलाधिकारी विधानसभा।
  6. प्रभागीय उनाधिकारी, फेन्चीरागढ़ का प्रभाग। विधानसभा।
  7. अधिशासी अभियान, प्रान्तीय अधिकारी, लोक निर्माण तिथाम, विधानसभा।
  8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NCC), उत्तराखण्ड संधियालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कथा उस शासनादेश के ए०आर०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का विषय।
  9. गार्ड यात्रा।

आत्मा १५

21

१५

मात्रप संक्षिप्त ।